

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 830]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2015/पौष 10, 1937

No. 830]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2015/ PAUSA 10, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015

सं. 27/2015- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 1028(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों को सेनवेट क्रेडिट (6ठा संशोधन) रूल्स, 2015 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004, के नियम 9, उप-नियम (1) में, उपवाक्य (घ) में, “विदेशी डाकघर” शब्दों के पश्चात् “या, जैसी भी स्थिति हो, कोई प्राधिकृत कूरियर, जो कि प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क प्रभारी कस्टम्स एयरपोर्ट के यहां पंजीकृत हो” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 267/34/2015/पार्ट- सीएक्स-8]

शंकर प्रसाद शर्मा, अवर सचिव

नोट : मूल नियमावली को सा.का.नि. 600(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 [अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 10 सितम्बर, 2004] के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया है और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. 818(अ), दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 [अधिसूचना सं. 22/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 29 अक्टूबर, 2015] के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2015

No. 27/2015 - Central Excise (N.T)

G.S.R. 1028(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Sixth Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the CENVAT Credit Rules, 2004, in rule 9, in sub-rule (1), in clause (d), after the words “ Foreign Post Office”, the words “or, as the case may be, an Authorized Courier, registered with the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs in-charge of the customs airport,” shall be inserted.

[F. No. 267/34/2015/Pt. – CX-8]

SHANKAR PRASAD SARMA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 600(E) dated the 10th September, 2004 [Notification No. 23/2004 – Central Excise (N.T) dated the 10th September, 2004] and was last amended vide number G.S.R. 818(E), dated the 29th October, 2015 [Notification No. 22/2015 -Central Excise (N.T.), dated the 29th October, 2015].